रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228084
CG-DL-E-02072021-228084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 470(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 और धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8कक के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(5) उस रकम के मामले में जिसे शीर्ष "पूंजी लाभ" के अधीन धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य किया जाता है,

(i) रकम या उसका एक भाग लघु अवधि पूंजी आस्ति के अंतरण से समझा जाएगा, यदि यह निम्नलिखित से हुआ माना जा सकता हो,--

(क) पूंजी आस्ति जो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन रकम के कराधान के समय लघु अवधि पूंजी आस्ति है; या

(ख) आस्ति के खंड का हिस्सा बनने वाली पूंजी आस्ति; या

(ग) धारा 45 के खंड (4) के स्पषटीकरण के खंड (ii) में यथा परिभाषित पूंजी आस्ति जो स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल है; और

(ii) रकम या उसका एक भाग दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति या आस्तियों के अंतरण से समझा जाएगा, यदि वह उस पूंजी आस्ति से हुआ माना जा सकता हो जो खंड (i) के अंतर्गत नहीं आती तथा धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन रकम के कराधान के समय दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति है।"।

3. मूल नियमों में, नियम 8कक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8कख. धारा 48 के अधीन विनिर्दिष्ट आस्ति की शेष पूंजी आस्तियों से धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन कराधेय आय माना जा सकना

(1) धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, जहां धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में रकम आय-कर से प्रभार्य है, वहां विनिर्दिष्ट अस्तित्व ऐसी रकम को इस नियम में उपबंधित रीति में विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी आस्ति से हुआ मानेगा ।

(2) जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खात के बकाया के आधिक्य में, धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभार्य होकर, विनिर्दिष्ट अस्तित्व की किसी पूंजी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित है, तो धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी आस्ति से मानी जा सकने वाली रकम वह रकम होगी जो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन भारित रकम का उसी अनुपात में वहन करती है जो पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण उस आस्ति के मूल्य में बढ़ोतरी या मान्यता अथवा पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण सभी आस्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी या मान्यता के कुल योग का वहन करती है ।

(3) जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खाते के बकाया के आधिक्य में धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित होकर, विनिर्दिष्ट अस्तित्व की किसी पूंजी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित रकम धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजी आस्ति से नहीं मानी जाएगी ।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खाते के बकाया के आधिक्य में, धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित होकर केवल विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति से संबंधित है, तो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित रकम धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजी आस्ति से नहीं मानी जाएगी ।

(5) विनिर्दिष्ट अस्तित्व प्ररुप सं. 5ग में विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी, आस्ति से मानी जा सकने वाली रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(6) प्ररुप सं. 5ग को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से या तो डिजिटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 140 के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व के आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

(7) प्ररुप सं. 5ग को उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें रकम धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभार्य है, धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) यथास्थित, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेक करेगा –

(i) प्ररुप सं. 5ग फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ii) प्रक्रिया, रुप विधान, आंकड़ा सरंचना, मानकों और उक्त प्ररुप प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति के सत्यापन के लिए उप-नियम 6 में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति को विनिर्दिष्ट करना; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररुप सं. 5 ग के संबंध में नीतियों को पुनःप्राप्ति और क्रियान्वयन समुचित सुरक्षा और पुरालेखीय और प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी होना।

स्पष्टीकरण 1:इस नियम के प्रयोजनों के लिए धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए प्रभार्य रकम विनिर्दिष्ट असितत्व का कोई पूंजी आस्ति या स्वय सृजित आस्ति का पुनर्मूल्यन या स्वयं सृजित गुडविल के पुनर्मूल्यन के लिए संबंद्ध होगा यदि नियम 11प में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित पुनर्मूल्यन है।

स्पष्टीकरण 2 : संदेह हटाने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोई आस्ति का पुनर्मूल्यन या स्वयं सृजित मूल्यांकन या स्वयं सृजित गुडविल इसके मूल्यांकन के कारण स्वयं सृजित आस्ति के मूल्य की मान्यता या इसके पुनर्मुल्यन कारण से उस आस्ति के मूल्य बढ़ोत्तरी के अवक्षयण के लिए पात्र नहीं होता है।

स्पष्टीकरण 3 : इस नियम के प्रयोजनों के लिए पद "स्वयं सृजित आस्ति" या "स्वयं सृजित गुडविल" का अर्थ वही होगा जो धारा 45 की उप-धारा (4) में उनको समनुदेशित किया गया है।"।

4. मूल नियमों में परिशिष्ट II में प्ररुप ख के पश्चात् निम्नललिखत प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप सं. 5ग

(नियम 8कख देखें)

विनिर्दिष्ट अस्तित्व के साथ शेष पूंजी आस्ति के लिए प्रदान किए गए रकम के ब्यौरे

1. विनिर्दिष्ट अस्तित्व का नाम
2. स्थायी लेखा संख्या
3. निर्धारण वर्ष
4. धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन करादेय की रकम
5. शेष पूंजी आस्तियों के लिए धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन करादेय रकम का योगदान

क्रम सं.	पूंजी आस्ति		बहियों का मूल्य	स्वयं सृजित के लिए पुनर्मूल्यांकित रकम मूल्यांकित रकम	योगदान में रकम	लघु अवधि/ दीर्घ अवधि
	नाम	क्या स्वयं सृजित है हां/नहीं				
	कुल					

6. जो आधारित पर मूल्यांकक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या क्रम संख्या 5 पर मूल्यांकन रिपोर्ट उपबंधित है।

सत्यापन

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....सत्यनिष्टा से घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वेत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार दी गई सूचना सही और पूर्ण है। आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार मैं और घोषणा करता हूं कि मैं .....(ई-फाइल करने में उपयोगिता में नीचे उपबंधित किया जाए)

अपनी हैसियत से प्ररुप प्रस्तुत करता हूं और मैं इस प्ररुप और इसे सत्यापन प्रस्तुत करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं.....स्थायी लेखा संख्या धृति हूं ।

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर .....".

[अधिसूचना सं. 76 /2021/फा. सं. 370142/22/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) तारीख, 8 जून 2021 द्वरा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2021

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:—

1. Short title:- (1)These rules may be called the Income tax Amendment (18th Amendment), Rules, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the principal rules) in rule 8AA, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5). In case of the amount which is chargeable to income-tax as income of specified entity under sub-section (4) of section 45 under the head "Capital gains",-

(i) the amount or a part of it shall be deemed to be from transfer of short term capital asset, if it is attributed to,-

(a) capital asset which is short term capital asset at the time of taxation of amount under sub-section (4) of section 45; or

(b) capital asset forming part of block of asset; or

(c) capital asset being self-generated asset and self-generated goodwill as defined in clause (ii) of *Explanation* 1 to sub-section (4) of section 45; and

(ii) the amount or a part of it shall be deemed to be from transfer of long term capital asset or assets, if it is attributed to capital asset which is not covered by clause (i) and is long term capital asset at the time of taxation of amount under sub-section (4) of section 45.".

3. In the principal rules, after rule 8AA, the following rule shall be inserted, namely:—

"8AB. Attribution of income taxable under sub-section (4) of section 45 to the capital assets remaining with the specified entity, under section 48.-

(1) For the purposes of clause (iii) of section 48, where the amount is chargeable to income-tax as income of specified entity under sub-section (4) of section 45, the specified entity shall attribute such amount to capital asset remaining with the specified entity in a manner provided in this rule.

(2) Where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, in excess of the balance in his capital account, chargeable to tax under sub-section (4) of section 45,relates to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, the amount attributable to the capital asset remaining with the specified entity for purpose of clause (iii) of section 48 shall be the amount which bears to the amount charged under sub-section (4) of section 45 the same proportion as the increase in, or recognition of, value of that asset because of revaluation or valuation bears to the aggregate of increase in, or recognition of, value of all assets because of the revaluation or valuation.

(3) Where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, in excess of the balance in his capital account, charged to tax under sub-section (4) of section 45 does not relate to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, the amount charged to tax under sub-section (4) of section 45 shall not be attributed to any capital asset for the purposes of clause (iii) of section 48.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2) or (3), where the aggregate of the value of money and the fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity, in excess of the balance in his capital account, charged to tax under sub-section (4) of section 45 relate only to the capital asset received by the specified person from the specified entity, the amount charged to tax under sub-section (4) of section 45 shall not be attributed to any capital asset for the purposes of clause (iii) of section 48.

(5) The specified entity shall furnish the details of amount attributed to capital asset remaining with the specified entity in Form No. 5C.

(6) Form No. 5C shall be furnished electronically either under digital signature or through electronic verification code and shall be verified by the person who is authorised to verify the return of income of the specified entity under section 140.

(7) Form No. 5C shall be furnished on or before the due date referred to in the *Explanation* 2 below sub-section (1) of section 139 for the assessment year in which the amount is chargeable to tax under sub-section (4) of section 45.

(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall -

(i) specify the procedure for filing of Form No. 5C;

(ii) specify the procedure, format, data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (6), for verification of the person furnishing the said Form; and

(iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form No 5C so furnished.

***Explanation* 1:** For the purposes of this rule, the amount chargeable to tax under sub-section (4) of section 45 shall relate to revaluation of any capital asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill, of the specified entity, if the revaluation is based on a valuation report obtained from a registered valuer as defined in clause (g) of rule 11U.

***Explanation* 2:** For the removal of doubt it is clarified that revaluation of an asset or valuation of self-generated asset or self-generated goodwill does not entitle the specified entity for the depreciation on the increase in value of that asset on account of its revaluation or recognition of the value of self-generated asset or self-generated goodwill due to its valuation.

***Explanation* 3:** For the purposes of this rule, the expressions “self-generated asset” and “self-generated goodwill” shall have the same meaning as assigned to them in clause (ii) of *Explanation* 1 to sub-section (4) of section 45.”.

4. In the principal rules, in Appendix II, after Form No. 5B, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form No. 5C

(See rule 8AB)

Details of amount attributed to capital asset remaining with the specified entity

1. Name of the specified entity

2. Permanent Account number

3. Assessment Year

4. Amount taxable under sub-section (4) of section 45

5. Attribution of amount taxable under sub-section (4) of section 45 to capital assets remaining

Sr.No.	Capital Asset		Book Value	Revalued amount/valued amount for self-generated asset	Amount attributed	Short term/ long term
	name	Whether self generated yes/no				
	Total					

6. Name and registration number of the valuer based on whose valuation report information at serial no 5 is provided.

VERIFICATION

I, _____son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am furnishing the form in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to furnish this form and verify it. I am holding permanent account number _____.

Place:

Date : Signature……".

[Notification No. 76/2021/F. No. 370142/22/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 395 (E), dated 8th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.02 21:58:28 +05'30'